न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—232 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 232)

1. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मल राम उम्र 80 वर्ष (मृतक) डिलीट
2. श्री रमेशचन्द्र पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क, (मृतक) जरिए विधिक वारिसानः—
   श्रीमती भारती राठौड पत्नी स्व0 श्री रमेशचन्द जाति खत्री, व्यस्क, निवासी ग्राम मुंडरा रायपुर छत्तीसगढ है हाल ग्राम सिनुगरा तहसील व जिला अन्जार कच्छ, गुजरात उपरोक्त के अलावा अन्य कोई वारिस अपीलार्थीगण के अलावा नहीं है।
3. श्री कौशल कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क डिलिट
4. श्री भरत कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क, डिलिट
5. श्री दिलीप कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क
6. श्री जनारामपुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क
7. श्री पीयूष कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क
8. श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क,
9. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्मल कुमार उर्फ निर्मलराम, व्यस्क,
   सभी जाति खत्री, निवासी श्रीनगर रोड, द्वितीय रेलवे क्रासिंग के पास, अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री सुधीर कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जैन (जैसवाल) निवासी टीकमगंज, केसरगंज अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील, अजमेर।
3. श्रीमती ज्योति परमार पत्नी स्वर्गीय श्री अनिल परमार पुत्री स्वर्गीय श्री निर्मल राम राठौर, व्यस्क जाति राठौर निवासी श्रीनगर रोड, द्वितीय रेलवे क्रासिंग के पास, अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 27.09.2012 अंतर्गत वाद संख्या 37 / 98.

उपस्थितः—

1. श्री कुलवंतसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री प्रशांत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः—09.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37 / 98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेवेन्यू वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उक्त वाद में अपीलार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5, 7 व 8 का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने से दिनांक 09.07.1999 की जवाबदावा बंद करने एवं प्रतिवादी संख्या 2, 6, 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एवं प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की साक्ष्य शपथपत्र पर ली जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2012 पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09. 2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया कि उक्त अपील में पक्षकारों के मध्य जो विवाद है अपीलार्थीगण के पिता स्व0 श्री निर्मल राम ने प्रत्यर्थी को खाता नम्बर 161, खसरा नम्बर 91, रकबा 01–01–00 बीघा, कृषि भूमि स्थित ग्राम किरानीपुरा, तहसील व जिला अजमेर जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1972 से विक्रयशुदा आराजी का कब्जा सुपुर्द किया था व खसरा नम्बर 91 का रकबा 05–17–00 बीघा जिसके नए मिलान खसरा नम्बर 96, रकबा 05–13–00, खसरा नम्बर 97 रकबा 00–04–00 बीघा एवं रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी के नामांतरकरण संख्या 102, दिनांक 13.09.1989 से खोला गया जो एक्स0 10 जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश, अजमेर जिला में प्रस्तुत दी0वि0प्रा0पत्र संख्या 46/2003 सुधीर कुमार बनाम पार्वती व अन्य में उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि का पटवारी हल्का की उपस्थिति में मौका निरीक्षण दिनांक 23.07.2003 को किया गया उक्त कमीशनर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना चाहता है उक्त कमीशनर रिपोर्ट प्रार्थी को विक्रय की गई जमीन की स्थिति को प्रकट करती है तथा प्रत्यर्थी ने क्रय के पश्चात क्रयशुदा जमीन बैंक में रहन रखी थी की नीलामी का नोटिस प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्पष्ट होने से अस्वीकार है। नामान्तरण सं. 102 दिनांक 13–09–1983 जो प्रदर्श 10 खोला गया उसे गलत बताते हुये ही वादी प्रत्यार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था। वादी/पत्यार्थी द्वारा खसरा नम्बर पुराने 88 का एक भाग खसरा नम्बर 91 रकबा 01 बीधा 01 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र में वर्णित सीमाओं के मध्य की क्रय की गई थी जिसका वर्तमान में मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 90 रकबा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा है। जिसका मौके पर कब्जा भी वादी/प्रत्यार्थी को दिनांक 30–12–1972 को ही सम्भला दिया गया था। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 में उल्लेखित

तथ्य व कथित मौका रिपोर्ट सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद सं. 51 सन् 2003 के साथ प्रस्तुत दीवानी विविध प्रार्थनापत्र सं. 46 सन् 2003 की पत्रावली में से पेश किया जाना उल्लेखित किया तथा निलामी को कथित नोटिस की जो फोटो प्रति पेश की है, जो दोनों ही दस्तावेज किसी भी आधार पर अभिलेख पर लिये जाने योग्य नहीं है। उक्त दीवानी विविध प्रार्थनापत्र से सम्बन्ध मूल वाद सं. 51 सन् 2003 को दिनांक 25–09–2018 को वादी/प्रत्यार्थी के पक्ष में डिक्री किया जा चुका है। जिस निर्णय में प्रदर्श 6 के रूप में उक्त मौका रिपोर्ट का परीक्षण विस्तृत रूप से किया जाकर वादी/प्रत्यार्थी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रदर्श। विक्रय पत्र में वर्णित भूमि पर अपना विधिक कब्जा साबित करने में सफल रहा है, यह स्पष्ट विवेचन निर्णय की चरण सं. 34 में किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त कमिश्नर रिपोर्ट बाबत विवेचन करने का अधिकार अब माननीय न्यायालय को नहीं रहता है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग सं. 6 अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–2018 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की जा रही है। इसी प्रकार जो आम सूचना की फोटो प्रति पेश की जा रही है उसमें मात्र खसरा नम्बर 91 का उल्लेख है, जो कि विक्रय पत्र के अनुसार है। जिससे अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा न ही यह दस्तावेज उक्त प्रकरण के न्यायिक निस्तारण के लिये आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कथन अस्पष्ट व भ्रामक होने से अस्वीकार है। प्रार्थी उक्त चरण में क्या कहना चाहता है, स्पष्ट नहीं होता है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 5 में वर्णित कथन इस प्रार्थनापत्र की परीधि में नही आने से अस्वीकार है। वादी/प्रत्यार्थी द्वारा अपने विक्रयपत्र में उल्लेखित खसरा नम्बर जो कि विक्रय पत्र में वर्णित सीमाओं में है के बाबत ही अपना क्लेम किया है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 6 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी स्वंय की लापरवाही का दोष न्यायालय पर लगा रहा है, उक्त दस्तावेज वर्ष 2003 व 1994 के होना प्रकट होता है तथा वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–09–2012 को डिक्री किया गया है, जिसमें अपीलार्थी कई बार उपस्थित रहा है। सिविल वाद भी वर्ष 2003 से विचाराधीन रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी स्वंय लापरवाह रहा है, जिस कारण वह कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के बडे भाई रमेशचंद जी करीब 30 वर्ष पूर्व ग्राम मुरडा रायपुर छतीसगढ शिफ्अ हो गए एवं मयपरिवार वही निवास करते थे रमेशचंद जी का स्वर्गवास दिनांक 30.10.2019 को ग्राम मुंडरा रायपुर छतीसगढ में हार्ट अटैक होने से स्वर्गवास हो गया परिवार में मात्र उनकी पत्नि भारती राठौड है। रमेशचंद जी के दिनांक 30.10.2019 से स्वर्गवास होने की जानकारी शेष अपीलार्थीगण को तत्समय नहीं हो

सकी तत्पश्चात कोविड 19 हो जाने से आना जाना नहीं हुआ एवं इसी दरमियान रमेशचंद की पत्नि ने ग्राम मुंडरा रायपुर छतीसगढ में निवास करना बंद कर ग्राम सिनुगरा अंजार कच्छ गुजरात शिफ्अ हो गई इस कारण रमेशचंद जी के स्वर्गवास की जानकारी दिनांक अक्टूबर 2021 में श्रीमती भारती राठौड के अजमेर आने पर जानकारी हुई की रमेशचंद जी का स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय रमेशचंद जी की पत्नि श्रीमती भारती राठौड अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला होने से कि उक्त अपील विचाराधीन है कि अपने पति से उनके जीवन काल में जानकारी नहीं होने से नियत समय में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी। उपरोक्त कारण से आवेदन प्रस्तुत करने में रमेशचंद की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस पश्चात जो समय लगा को कोविड 19 के कारण एवं उपरोक्त कारणों से कन्डोन किया जाना आवश्यक है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि मृतक रमेशचंद शेष अपीलार्थीगण का बडा भाई था जिसकी मृत्यु के संबंध में जानकारी नहीं होना स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी के कथनानुसार रमेशचंद का निधन दिनांक 30.10.2019 को ही हो गया था और कोविड 19 के कारण जानकारी नहीं हो सकी जो गलत है व अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि कोविड 19 के कारण प्रथम बार 22.03.2021 को आना जाना बंद हुआ था। ऐसी स्थिति में मृतक के वारिसान के संबंध में कार्यवाही करने हेतु 90 दिवस का समय कोविड 19 से पूर्व ही व्यतित हो गई थी, ऐसी स्थिति में अपील अबेट हो चुकी थी। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर असत्य तथ्यों का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है। अपीलार्थी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहा है तथा उसे प्रारम्भ से सभी तथ्यों की जानकारी भी रही है, परंतु न्यायालय को गुमराह करने के उददेश्य से उक्त गलत तथ्यों को उल्लेख जानबूझकर कर रहा है। उक्त आवेदन श्रीमती भारती राठौड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी की अपील अबेट हो चुकी है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं

न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अपनी साक्ष्य का मुख्य परीक्षण बयान का शपथपत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण 1, 3 से 5, 7 व 8 के अभिभाषक को न दिलवाई जाकर शपथपत्र तस्दीक कर वादी की साक्ष्य पूर्ण मानते हुए एंव वकील प्रतिवादीगण को जिरह का मौका प्रदान न कर प्रकरण में जो विधिक प्रक्रिया है की पालना न कर भारी विधिक भूल की है जबकि उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व आदेशिका में कहीं पर भी एक तरफा कार्यवाही की जाने के आदेश पारित नहीं किए गये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण निस्तारण की प्रकिया में जो विधिक भूल करते हुए जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8.3.2010 को पत्रावली वकील वादी के आवेदन आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. व धारा 65 साक्ष्य अधिनियम को रेकार्ड पर लेकर बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका दिये एंव उक्त आवेदन पत्रों की नकल दिलाए एक पक्षीय स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त तरीका मनमाना, विधि विरूद्ध एंव वादी से मिलकर प्रकरण में येन केन निर्णय पारित करने का प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नम्बर 10 ने भी वादी से जिरह न कर प्रकरण अन्य पक्षकारान के मध्य होना तथा राजहित में नहीं होने से जिरह की आवश्यकता नहीं होना जाहिर करते हुए नहीं की जबकि विक्रयपत्र के आधार पर रेवेन्यु ऑथोरिटी द्वारा वादी को खसरा नम्बर 96 व 97 का ही खातेदार माना है जबकि वादी खसरा नम्बर 90 व 91 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है ऐसी स्थिति में जो रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी में प्रविष्टि विक्रयपत्र के आधार पर की है उक्त प्रविष्टी राजहित एंव राजकीय रेकार्ड में परिवर्तन का मामला होते हुए जिरह न कर वादी के साथ मिलाजुला कृत्य है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का गौर न कर निर्णय एंव डिक्री पारित कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के वाद में पक्षकार एंव अभिभाषक नियुक्त होने के बावजूद वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत शपथपत्र, आवेदनपत्र की नकल न दिलाकर एंव उन पर सुनवाई का मौका प्रदान न कर विधि विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो रेवेन्यु रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी किसी प्रकार का कोई गौर नहीं किया कि वादी द्वारा वादपत्र में मात्र खसरा नम्बर का उल्लेख किया है जबकि विक्रयपत्र में विक्रय की गई भूमि का खाता खसरा नम्बर भी अंकित है। प्रत्यर्थी नम्बर 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष विक्रयपत्र दिनांक 30.12. 72 से श्री निर्मल कुमार से जो कृषि भूमि कय की का पूर्ण विवरण वादपत्र में अंकित नहीं कर मात्र खसरा नम्बर 91 रकबा 1–1–0 बीघा अंकित किया है जबकि चौसाला जमाबन्दी में खसरा नम्बर 91 का रकबा 1–1–0 बीघा दर्शित नहीं होकर मात्र 19 बिस्वा ही है। जबकि विक्रयपत्र में ग्राम किरानीपुरा तह. व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खाता नम्बर 161 के खसरा नम्बर 91 रकबा 5–17–0 बीघा है में से 1–1–0 बीघा कृषि भूमि का विक्रयपत्र के जरिये बेचान किया गया है और मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 91 के नये खसरा नम्बर 96

रकबा 5–13–0 बीघा व खसरा नम्बर 97 रकबा 0–4–0 बीघा बने एंव विक्रयपत्र के आधार पर रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 3.9.89 से खसरा नम्बर 96 व 97 का 7/39 हिस्सा ही प्रत्यर्थी नम्बर 1 के नाम रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया उक्त तथ्य पर किसी प्रकार का गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है रेवेन्यु रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी नम्बर 1 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में मात्र खसरा नम्बर 91 रकबा 1–1–0 बीघा अंकित किया है जबकि विक्रयपत्र में विक्रय की गई भूमि का खाता नम्बर 161 जो कि चौसाला वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 का है अंकित किया गया है उक्त तथ्य पर किसी प्रकार का गौर न कर भारी विधिक भूल की है एंव पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी नम्बर 1 ने प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 88 जिसके नये मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 90, 91 व 95 कुल रकबा 6/3/10 बीघा किस्म बा.2 अंकित किया है जबकि अशोक कुमार व तुलसी देवी को खसरा नम्बर 88 के रकबें में से ही कृषि भूमि विक्रय की गई थी जो उनके विकयपत्र में खसरा नम्बर अंकित है जबकि प्रत्यर्थी नम्बर 1 के विक्रयपत्र में खाता नम्बर 161 खसरा नम्बर 91 रकबा 1–1–0 बीघा किस्म बा.1 अंकित है नया खसरा नम्बर 91 तत्समय प्रभाव में ही नहीं था और न ही विक्रेता द्वारा खसरा नम्बर 91 की भूमि प्रत्यर्थी नम्बर 1 को विक्रय की थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खाता नम्बर 161 खसरा नम्बर 91 रकबा 1–1–0 बीघा किस्म बा. 1 के स्थान पर विक्रयपत्र दिनांक 30.12.74 से विक्रय की गई भूमि को नये खसरा नम्बर 90 रकबा 0–2–0 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 0–19–0 बीघा कुल रकबा 1–1–0 बीघा का खातेदार घोषित किये जाने की जो डिक्री एंव निर्णय पारित किया है विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध एंव शुन्य है। कृषि भूमि के बेचान के विक्रयपत्र में खाता व खसरा नम्बर से ही भूमि का बेचान किया जाता है न कि कृषि भूमि की पहचान सीमाओं से होती है एवं खाता खसरा नम्बर से ही कृषि भूमि की पहचान होती है उक्त तथ्य पर किसी प्रकार का गौर न कर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत विधिक विनिश्चय जो कि वाद के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं पर रिलाई कर भारी विधिक भूल की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2012 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील के माध्यम से बहस में कथन किया कि ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर नया 91 क्षेत्रफल 1 बीघा 1 बिस्वा वादी द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के स्वर्गीय पति एवं पिता श्री निर्मलराम उर्फ निर्मलकुमार से बजरिए पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 30.12.1972 को खरीद की गई, विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 15.01.1973 को किया गया। इस प्रकार वादी की उपरोक्त जर खरीद भूमि जिस पर वादी खरीद रोज दिनांक 30.12.1972 से आज दिवस तक काबिज है कि जिसका वादी कानूनी खातेदार है। खसरा नंबर पुराना 88 कि जिसका कुल क्षेत्रफल 6–3–10 किस्म बारानी 2, जो कि चौसाला जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 के अनुसार खातेदार प्रतिवादीगण नंबर 1 से 9 के पति एवं पिता श्री निर्मलराम पुत्र श्री मनजीभाई थे जिनके भू संशोधन हाल नवीन नम्बर 90 क्षेत्रफल 1–4–0, खसरा नंबर 91 क्षेत्रफल 0–19–0 एवं खसरा नंबर 95 क्षेत्रफल 4–0–10 बनें हैं, कि जिनकी पुष्टि मिलान

क्षेत्रफल से है। भू संशोधन के अनुसार नवीन खसरा नंबर 90, 91 व 95 का कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी–2 है इनमें से खातेदार के द्वारा दिनांक 6–2–74 को श्री अशोक कुमार पुत्र रामनाथ शर्मा को खसरा नंबर 90 व 95 में से 19 बिस्वा भूमि बेचान की गई। इसी प्रकार श्रीमती तुलसीदेवी को खसरा नंबर 90 व 95 में से 4 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि बजरिये पंजिबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 16.01.74 को बेचान की गई तथा खसरा नंबर 90 में से रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 91 रकबा 19 बिस्वा भूमि जो शेष रही जिसे प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के पति एवं पिता श्री निर्मलराम के द्वारा वादी को बजरिये पंजिबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 30.12.72 को ही बेचान कर दी गई, परन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा नामान्तरकरण नम्बर 134 दिनांक 16.07.1992 के अनुसार खसरा, नबर 90 व 95 में से 19 बिस्वा का नामान्तरकरण अशोक कुमार शर्मा एवं ख०नं० 90 व 95 में से रकबा 4–3–10 का नामान्तरकरण श्रीमती तुलसीदेवी के नाम कर दिया तथा खसरा नंबर 90 में से रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 91 रकबा 19 बिस्वा का नाम नामान्तकररण वादी के पक्ष में नहीं कर प्रतिवादीगण के नाम गलत तस्दीक किया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आवेदन के एवं वादी को बिना सुनवाई के खसरा नंबर हाल 96 व 97 में से 7/39 हिस्से का नामान्तरकरण नंबर 102 दिनांक 13.09.89 का दर्ज कर वर्किंग जमाबन्दी में वादी के नाम इन्द्राज किया गया जबकि वादी की खरीद भूमि खसरा नंबर पुराने 88 का एक भाग खसरा नंबर 91 क्षेत्रफल 1–1–0 कि जिनका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 90 रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 91 रकबा 19 बिस्वा ही भूमि वादी की जर खरीद जिसे वादी को मूल खातेदार स्वर्गीय श्री निर्मलराम के द्वारा दिनांक 30.12.72 को बेचान की गई जिसकी सीमाएं विक्रयपत्र के पृष्ठ संख्या 4 में दर्शायी गई एवं मौके पर दिनांक 30.12.72 को ही विक्रेता के द्वारा वादी को कब्जा सम्भला दिया जिसके अनुसार वादी जर खरीद रोज से विधिक रूप से आज दिवस तक काबिज चला आया है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा नम्रिन्तरकरण नंबर 102 दि. 13.09.89 के अनुसार खसरा नंबर 96 व 97 के स्थान पर वादी के नाम खसरा नंबर 90 क्षेत्रफल 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 91 क्षेत्रफल 19 बिस्वा जो कि भू संशोधन के खसरा नंबर है, का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। प्रतिवादीगण नंबर 1 से 9 के पति एवं पिता स्वर्गीय निर्मलराम के द्वारा वाद की चरण संख्या एक में दर्शाई भूमि वादी को बजरिये पंजिबद्व विक्रयपत्र दिनांक 30.12.72 कि जिस पर वादी विधिक अधिकारों के सहित शांतिपूर्ण काबिज है। परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 कानून को हाथ में लेकर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में दखल एवं व्यवधान करने पर आमादा है एवं मौके पर वादी की जर खरीद कब्जे की भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान एवं हस्तान्तरण करने पर आमदा है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के द्वारा धमकियां दी जा रही है एवं नाना व्यक्तियों को मौके पर लाकर वादी की उपरोक्त भूमि के बेचान के प्रयास किये जा रहे हैं कि जिनका प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति प्रसारित की जाकर यदि उन्हें पाबन्द नहीं किया जाता है, उन परिस्थतियों में प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के द्वारा लालचवश होकर एवं बदनियतिकर वादी को विवादित भूमि से बेदखल किया जा सकता है तथा अन्य व्यक्तियों को बेचान, हस्तान्तरित आदि की जाती है उस स्थिति में नाना किस्म की मुकदमेंबाजी बढने की सम्भावना है कि जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना है कि जिसकी क्षतिपूर्ति का किया जाना सम्भव नहीं होगा। वाद में सुविधा का सन्तुलन कानून, न्याय, समानता एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त तथा पंजिबद्ध

विकयपत्र एवं राजस्व रेकार्ड आदि वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादीगण नंबर 1 से 9 के खिलाफ है। वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 2–2–1998 को उत्पन्न हुआ कि जिस रोज प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के द्वारा वादी की जर खरीद भूमि से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी गई। उसके पश्चात उसी रोज दिनांक 02.02.1998 को वादी के द्वारा वर्किंग जमाबन्दी खाता नंबर 233 की नकल पटवारी हल्का से मांग की गई तब जानकारी हुई कि वादी के नाम खसरा नंबर 90 व 91 की बजाय खसरा नंबर 96 व 97 का इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.03.98 को उत्पन्न हुआ कि उस रोज पटवारी हल्का से हाल वर्किंग जमाबन्दी की नकल खसरा नबर 90 व 91 की पटवारी हल्का से मांग की गई जब जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण नंबर 1 से 9 के नाम दर्ज की गई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नंबर हाल 90 क्षेत्रफल 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 91 क्षेत्रफल 19 बिस्वा ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा हाल वर्किंग जमाबन्दी में खसरा नंबर 96 व 97 के स्थान पर खसरा नंबर 90 व 91 कुल क्षेत्रफल 1 बीघा 1 बिस्वा का इन्द्राज वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे कि इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण 1 से 9 एवं उनके वारिसान, रिश्तेदारान, नौकरान, ऐजेन्ट, अटोर्नीज, एंव ट्रॉसफरीज आदि के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति प्रसारित की जाकर उन्हें पाबन्द किया जावे कि वे वादी की जर खरीद एवं काबिज भूमि खसरा नंबर 90 व 91 क्षेत्रफल 1 बीघा 1 बिस्वा ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर के वादी के शान्तिपूण कब्जे में दखल नहीं करें। वादी को बेदखल नहीं करें तथा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करें कि जिस हेतु इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 9 के प्रसारित की जाकर पाबन्द किया जावे। वाद की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक अनुतोष वादी को दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आआरटी 2015(1)राज0 232, सी0जे0(पार्टीशन) 2016 राज0 441, आरएलडब्ल्यू 2014(2)एससी 1293, आरआरटी 2017(1) एचसी 711, डब्ल्यू0एल0सी0 2006 (2)एस0सी0 सिविल 228, सीसीसी 2009 (1)एपी0 766, आरएलडब्ल्यू 2003(3)राज0 1891, आरआरटी 2015(2)आर0बी0 1221, आरआरडी 2001 पेज 258, सीसीसी 2013(1)एससी 075 प्रस्तुत किए हैं।

12. हमारे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में दिनांक 27.09.2012 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने के पश्चात यह तथ्य दृष्टिगत हुए कि ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 क्षेत्रफल 01 बीघा 01 बिस्वा जिसे अपीलांट संख्या 1 से 9 के स्व0 पति एवं पिता श्री निर्मलराम उर्फ

निर्मलकुमार से बजरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1972 को वादी/रेस्पोडेंट द्वारा क्रय की गई थी, जिसका पंजीयन दिनांक 15.01.1973 को किया गया। खसरा नम्बर 88 जिसका कुल रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी 2 है जो कि चौसाला जमाबंदी संवत 2025–2028 के अनुसार खातेदार अपीलांट संख्या 1 से 9 के पति एवं पिता श्री निर्मलराम पुत्र श्री मनजी भाई थे। जिसकी जमाबंदी प्रदर्श 5 है। भू संशोधन विभाग द्वारा हाल नवीन खसरा नम्बर 90 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 95 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वांसी बने, जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 व नक्शा प्रदर्श 7 है। निर्मलराम द्वारा दिनांक 06.02.1974 को प्रदर्श 8 द्वारा श्री अशोक कुमार पुत्र रामनाथ शर्मा को खसरा नम्बर 90 व 95 में से 19 बिस्वा भूमि बैचान की गई तथा श्रीमती तुलसीदेवी को खसरा नम्बर 90 व 95 में से 19 बिस्वा भूमि बैचान की गई तथा श्रीमती तुलसीदेवी को खसरा नम्बर 90 व 95 में से 04 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि बजरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1974 को प्रदर्श 9 द्वारा बेचान की गई।

वादी/रेस्पोडेंट को जिस सीमा की भूमि बेची गई उसका खसरा नम्बर 90 में से रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 7 से भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट के विक्रय पत्र में उल्लेखित सीमाओं के मध्य की आराजी खसरा नम्बर 90 में से रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा भूमि है, जिसे वादी/रेस्पोडेंट को बेचान किया गया। नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 16.07.1992 के अनुसार खसरा नम्बर 90 व 95 में से रकबा 19 बिस्वा का नामांतरकरण अशोक कुमार शर्मा के नाम, खसरा नम्बर 90 व 95 में से रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी का नामांतरकरण श्रीमती तुलसी देवी के नाम कर दिया तथा खसरा नम्बर 90 में से रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 91 रकबा 19 बिस्वा का नामांतरकरण वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में नहीं कर प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 से 9 के नाम तस्दीक किया गया। भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आवेदन के एवं वादी/रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिए बिना खसरा नम्बर 96 व 97 में से 7/39 हिस्सा का नामांतरकरण संख्या 102 दिनांक 13.09.1989 वादी/रेस्पोडेंट के नाम गलत दर्ज कर वर्किंग जमाबंदी में इंद्राज किया गया। जबकि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा क्रयशुदा आराजीयात खसरा नम्बर 90 व 91 है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए जाकर खसरा नम्बर 90 में रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 91 में रकबा 19 बिस्वा का खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य ना तो प्रस्तुत किए गए व ना ही बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित हुए। उक्त प्रकरण से संबंधित प्रकरण रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट संख्या 1 से 9 के विरूद्ध अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 6, अजमेर के समक्ष दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन कर अपीलांट को उक्त आराजीयात में एक अतिक्रमी की हैसियत से विद्यमान माना है, चूंकि अपीलांट कहीं पर भी सिविल न्यायालय में यह साबित नहीं कर पाए हैं कि रेस्पोडेंट द्वारा क्रय की गई आराजीयात विवादित आराजीयात से भिन्न हो। इसी आधार पर अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने अपीलांटगण को स्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 25.09.2018 को पाबंद कर प्रकरण में डिक्री जारी की गई।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय व डिक्री में अपील के माध्यम से कथन किए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादीगण को वाद में पक्षकार एवं अभिभाषक नियुक्त होने के बावजूद वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत शपथपत्र, आवेदनपत्र की नकल न दिलाकर एवं उन पर सुनवाई का मौका प्रदान न कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए थे। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण/अपीलांट का जवाबदावा दिनांक 09.07.1999 को बंद किया गया तथा प्रकरण साक्ष्य वादी/रेस्पोडेंट में नियत किया गया जिस पर वादी/रेस्पोडेंट द्वारा साक्ष्य दिनांक 27.07.2012 को पेश की गई। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा जिरह नहीं करने व प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 24.08.2012 को प्रदर्श अंकित कर जिरह बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 14.09.2012 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.09.2012 को बहस सुनी जाकर दिनांक 27.09.2012 को प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे है।

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा 99 –: *कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है न तो उल्टी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी।*

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

13. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2012 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर